INDIAN PARLIAMENT- PART-2

(भारतीय संसद- भाग-2)

Presented By:
Er. Gaurav Pandey
M.Tech NIT JALANDHAR
PhD IIT-R (Pursuing)

Sessions of Indian Parliament

The **president from time to time summons each House of Parliament to meet**. But, the maximum gap between two sessions of Parliament cannot be more than **six months**. In other words, the **Parliament should meet at least twice a year.**

There are usually **three sessions** in a year, viz,

The ***Budget Session*** (February to May);

The ***Monsoon Session*** (July to September); and

The ***Winter Session*** (November to December).

A '**session' of Parliament** is the **period spanning between the first sitting of a House and its prorogation (or dissolution in the case of the Lok Sabha).** During a session, the House meets every day to transact business. The constitution of India has imposed the duty upon the President that he/she must summon each house at such intervals that the **maximum time gap between two sessions of the parliament is 6 months**. So the parliament **must meet twice a year**. **Prorogation is the end of a session.** The **time between the Prorogation and reassembly is called "Recess".**

भारतीय संसद के सत्र -

राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है। लेकिन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, संसद को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए।

आमतौर पर एक वर्ष में तीन सत्र होते हैं, जैसे,-

1. बजट सत्र **(फरवरी से मई);**
2. **मानसून सत्र (जुलाई से सितंबर); और**
3. **शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)।**

संसद का 'सत्र' एक सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान (या लोकसभा के मामले में विघटन) के बीच की अवधि है। एक सत्र के दौरान, सदन हर दिन कार्य करने के लिए बैठक करता है। भारत के

CoachUP IAS

संविधान ने राष्ट्रपति पर यह कर्तव्य लगाया है कि वह प्रत्येक सदन को ऐसे अंतराल पर बुलाए कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 महीने हो। इसलिए संसद की साल में दो बार बैठक होनी चाहिए। सत्रावसान सत्र का अंत है। सत्रावसान और पुन: संयोजन के बीच के समय को " **विश्रांति काल**" कहा जाता है।

Budget Session

- The budget session is held from **February to May** every year.
- It is considered to be a highly **crucial session** of the Parliament.
- The Budget is usually presented on the last working day of the month of February.
- Here, the members discuss the various provisions of the budget and matters concerning taxation, after the Finance Minister presents the budget.
- This **session every year starts with the President's Address** to both Houses.

बजट सत्र -

- बजट सत्र हर साल फरवरी से मई तक आयोजित किया जाता है।
- इसे संसद का बेहद अहम सत्र माना जाता है।
- आम तौर पर बजट फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता है।
- यहां, सदस्य वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद बजट के विभिन्न प्रावधानों और कराधान से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हैं।
- यह सत्र हर साल दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है।

Monsoon Session

- The monsoon session is held from **July to September** every year.
- This is after a break of two months after the budget session.
- In this session, matters of public interest are discussed.

मानसून सत्र -

- मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है।
- यह बजट सत्र के दो महीने के अंतराल के बाद है।

CoachUP IAS

- इस सत्र में जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाती है।

Winter Session

- The winter session of Parliament is held in **mid-November to mid-December** every year.
- It is the **shortest session** of all.
- It takes up the matters that could not be considered upon earlier and makes up for the absence of legislative business during the second session of the Parliament.

शीतकालीन सत्र -

- संसद का शीतकालीन सत्र हर साल नवंबर के मध्य से दिसंबर के मध्य तक आयोजित किया जाता है।
- यह सबसे छोटा सत्र है।
- यह उन मामलों को उठाता है जिन पर पहले विचार नहीं किया जा सकता था और संसद के दूसरे सत्र के दौरान विधायी कार्य की अनुपस्थिति की भरपाई करता है।

Joint Session of Parliament

- The **Constitution of India provides for the joint sitting of the Parliament's two Houses,** the Lok Sabha and the Rajya Sabha, **in order to break any deadlock between the two.**
- The **joint sitting of the Parliament is called by the President.**
- Such a session is presided over by the Speaker, and in his/her absence, by the Deputy Speaker of the Lok Sabha. In the absence of both, it is presided over by the Deputy Chairman of the Rajya Sabha.
- If any of the above are not present, any other member of the Parliament can preside by consensus of both the Houses.
- **Article 108 of the Constitution talks about a joint Parliament session.**

Since 1950, the provision regarding the **joint sitting of the two Houses has been invoked only thrice.** The **bills that have been passed at joint sittings are:**

1. **Dowry Prohibition Bill, 1960.**

CoachUP IAS

2. **Banking Service Commission (Repeal) Bill, 1977.**
3. **Prevention of Terrorism Bill, 2002.**

संसद का संयुक्त सत्र -

- भारत का संविधान दोनों के बीच किसी भी गतिरोध को तोड़ने के लिए संसद के दो सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।
- संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है।
- इस तरह के एक सत्र की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और उनकी अनुपस्थिति में, लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा। दोनों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्य सभा के उपसभापति करते हैं।
- यदि उपरोक्त में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो संसद का कोई अन्य सदस्य दोनों सदनों की सहमति से अध्यक्षता कर सकता है।

1950 के बाद से, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रावधान केवल तीन बार लागू किया गया है। संयुक्त बैठकों में पारित किए गए बिल हैं:

1) दहेज निषेध विधेयक, 1960।
2) बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977।
3) आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2002।

Summoning is the process of calling all members of the Parliament to meet. It is the duty of Indian President to summon each House of the Parliament from time to time. The maximum gap between two sessions of Parliament cannot be more than six months. In other words, the Parliament should meet at least twice a year.

सम्मन (बुलाना)-

समन संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया है। संसद के प्रत्येक सदन को समय-समय पर बुलाना भारतीय राष्ट्रपति का कर्तव्य है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह महीने से अधिक नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, संसद को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए।

CoachUP IAS

Adjournment

Adjournment *terminates the sitting* of the House which meets again at the time appointed for the next sitting. The postponement may be for a specified time such as hours, days or weeks. If the meeting is terminated without any definite time/ date fixed for next meeting, it is called ***Adjournment –sine-die*** *(**the termination of a sitting of the House without any definite date** being fixed for the next sitting.)*

स्थगन-

स्थगन से सदन की बैठक समाप्त हो जाती है जो अगली बैठक के लिए नियत समय पर फिर से मिलती है। स्थगन एक निर्दिष्ट समय के लिए हो सकता है जैसे घंटे, दिन या सप्ताह। यदि बैठक को अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त कर दिया जाता है, तो इसे **स्थगन-अनंत काल** (अगली बैठक के लिए किसी निश्चित तिथि के बिना सदन की बैठक की समाप्ति) कहा जाता है।

Prorogation

***Prorogation is end of a session*.** A prorogation puts an end to a session. *The time between the Prorogation and reassembly is called Recess.* Prorogation is end of session and not the dissolution of the house.

सत्रावसान-

सत्रावसान सत्र का अंत है। सत्रावसान सत्र का अंत करता है। सत्रावसान और पुन: संयोजन के बीच के समय को " **विश्रांति काल**" कहा जाता है। सत्रावसान सत्र की समाप्ति है न कि सदन का विघटन।

Dissolution

The dissolution of the Lok Sabha may take place in either of two ways:

*1. **Automatic dissolution**: On the expiry of its tenure – five years or the terms as extended during a national emergency.*

*2. **Order of President:** If President is authorized by Council of Ministers (usually the PM), he can dissolve Lok Sabha, even before the end of the term. He may also dissolve Lok Sabha if CoM loses confidence and no party is able to form the government. Once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure, the dissolution is irrevocable.*

CoachUP IAS

*Dissolution puts an **end to the Lok Sabha and fresh elections must be held.***

***Note:** When the Lok Sabha is dissolved, all business including bills, motions, resolutions, notices, petitions and so on pending before it or its committees lapse.*

विघटन-

लोकसभा का विघटन दो तरह से हो सकता है:

1) **स्वत: विघटन-** 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर
2) **राष्ट्रपति का आदेश-** यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद (आमतौर पर पीएम) द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो वह कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि CoM विश्वास खो देता है और कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता है तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग भी कर सकता है। एक बार जब लोकसभा अपने सामान्य कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग हो जाती है, तो विघटन अपरिवर्तनीय होता है।

विघटन लोकसभा को समाप्त कर देता है और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए।

नोट: जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो उसके या उसकी समितियों के समक्ष लंबित बिल, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि सहित सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं।

Comparison between Adjournment, Prorogation and Dissolution

- **Adjournment – terminates a sitting. Done by Presiding Officer of the House (Speaker/Deputy Speaker in the Lok Sabha; Chairman/Deputy Chairman in the Rajya Sabha)**
- **Prorogation – terminates a session (Done by the President)**
- **Dissolution – terminates the life of Lok House (Done by the President)**

स्थगन, सत्रावसान और विघटन के बीच तुलना

- स्थगन - बैठक को समाप्त करता है। सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष/उप अध्यक्ष, राज्य सभा में सभापति/उपसभापति) द्वारा किया जाता है।
- सत्रावसान - एक सत्र को समाप्त करता है (राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है)
- विघटन - लोक सभा का कार्यकाल समाप्त (राष्ट्रपति द्वारा किया गया)

COACHUP IAS

Quorum

Quorum refers to the minimum number of the members required to be present for conducting a meeting of the house. Constitution has fixed ***one-tenth*** strength as quorum for both Lok Sabha and Rajya Sabha. Thus, to conduct a sitting of Lok Sabha, there should be at least 55 members present while to conduct a sitting of Rajya Sabha, there should be at least 25 members present.

कोरम

कोरम से तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है। संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम के रूप में कुल सीटों का दसवां हिस्सा तय किया है। इस प्रकार लोक सभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए जबकि राज्य सभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

Language in Parliament

The **Constitution has declared Hindi and English** to be the languages for transacting business in the Parliament. However, the **presiding officer can permit a member to address the House in his mother-tongue.**

In both the Houses, arrangements are made for simultaneous translation. Though English was to be discontinued as a floor language after the expiration of **fifteen years** from the commencement of the **Constitution (that is, in 1965)**, the **Official Languages Act (1963) allowed English to be continued along with Hindi.**

What is a lame duck session of Parliament?

It refers to the **last session of the existing Lok Sabha** after a new Lok Sabha has been elected. **Those members of the existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame-ducks.**

संसद की भाषा-

- संविधान ने संसद में कामकाज के संचालन के लिए हिंदी और अंग्रेजी को भाषा घोषित किया है। हालाँकि, पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

CoachIAS

- दोनों सदनों में एक साथ अनुवाद की व्यवस्था की जाती है। हालाँकि, संविधान के लागू होने (यानी 1965 में) से पंद्रह साल की समाप्ति के बाद अंग्रेजी को एक मंजिल की भाषा के रूप में बंद कर दिया जाना था, लेकिन राजभाषा अधिनियम (1963) ने अंग्रेजी को हिंदी के साथ जारी रखने की अनुमति दी।

संसद का लंगड़ा सत्र क्या है?

- यह एक नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। मौजूदा लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके, उन्हें लंगड़ा-बतख कहा जाता है।

President's Address

President's address is the speech delivered by the President of India to both Houses of Parliament assembled together at the commencement of the first session after each general election to Lok Sabha and at the commencement of the first session of each year.

राष्ट्रपति का संबोधन

राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में एक साथ दिया गया भाषण है।

Participation of Ministers

A minister can participate in the proceedings of any house of the parliament irrespective of his own house in which he holds membership. However, he can vote only in the house in which he holds membership.

मंत्रियों की सहभागिता-

एक मंत्री संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भले ही उसका अपना सदन हो, जिसमें उसकी सदस्यता हो। हालाँकि, वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसमें उसके पास सदस्यता है।

CoachUP IAS

Participation by Attorney General

Attorney-General of India has right to right to speak in and take part in the proceedings of, either House, any joint sitting of the Houses, and any committee of Parliament of which he may be named a member. However, he is not entitled to vote in any of them.

अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) द्वारा भागीदारी-

भारत के महान्यायवादी को किसी भी सदन, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य हो सकता है, में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि, वह उनमें से किसी में भी वोट देने का हकदार नहीं है।

Bulletin

Bulletin is published in two parts, Part I containing a brief record of the proceedings of the House at each of its sittings; and Part II containing information on any matter relating to or connected with the Business of the House or Committees or other matter which in the opinion of the Speaker may be included therein.

बुलेटिन-

बुलेटिन दो भागों में प्रकाशित होता है, भाग **1** जिसमें सदन की प्रत्येक बैठक में कार्यवाही का संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है; और भाग **II** में सदन या समितियों या अन्य मामलों से संबंधित या उससे संबंधित किसी भी मामले की जानकारी शामिल है, जिसे अध्यक्ष की राय में उसमें शामिल किया जा सकता है।

Expunction

Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of the House by an order of the Speaker or from the proceedings or records of a Committee by an order of the Chairman of the Committee or the Speaker as being defamatory or indecent or undignified.

CoachUP IAS

निष्कासन-

अध्यक्ष के आदेश द्वारा सदन की कार्यवाही या अभिलेखों से शब्दों, वाक्यांशों या अभिव्यक्तियों को हटाना या समिति के अध्यक्ष के आदेश द्वारा समिति की कार्यवाही या अभिलेखों से हटाना क्योंकि यह मानहानिकारक या अशोभनीय या गैर-सम्मानजनक है।

Devices of Parliamentary Proceedings

संसदीय कार्यवाही की युक्ति

Question Hour

The **first hour of every parliamentary sitting** is slotted for this. During this time, the **members ask questions and the ministers usually give answers.** The questions are of three kinds, namely, **starred, unstarred, and short notice.**

प्रश्नकाल-

इसके लिए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निर्धारित किया जाता है। इस दौरान सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर जवाब देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, तारांकित, अतारांकित और संक्षिप्त सूचना।

Starred Question:

- A starred question (distinguished by an asterisk) is **asked by an MP and answered orally by the Minister-in-charge**. MPs are **allowed to ask one starred question each, in one sitting**. Starred questions are **submitted in advance (15 days)** and **only 20 questions are picked (through ballot) for oral answer on a day.**
- The questioning **MP can thereafter ask up to two supplementary questions**. Other MPs can then ask supplementary questions based on the Speaker's discretion.

तारांकित प्रश्न:

- एक तारांकित प्रश्न (तारांकन द्वारा विशिष्ट) एक सांसद द्वारा पूछा जाता है और प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। सांसदों को एक बैठक में एक-एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है। तारांकित प्रश्न अग्रिम (15 दिन) प्रस्तुत किए जाते हैं और एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए केवल 20 प्रश्न (मतपत्र के माध्यम से) चुने जाते हैं।

CoachUP IAS

- इसके बाद पूछताछ करने वाला सांसद अधिकतम दो पूरक प्रश्न पूछ सकता है। फिर अन्य सांसद अध्यक्ष के विवेक के आधार पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

Un-starred Question:

- An un-starred question receives a **written reply from the Ministry**. They are **submitted 15 days in advance**. A **maximum of 230 un-starred questions is picked for a day**.
- An **MP can submit ten questions on a day, of which he may ask a maximum of five. Out of the five, he may ask, only one may be a starred question.**

अतारांकित प्रश्न:

- एक अतारांकित प्रश्न को मंत्रालय से लिखित उत्तर प्राप्त होता है। उन्हें 15 दिन पहले जमा किया जाता है। एक दिन के लिए अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न चुने जाते हैं।
- एक सांसद एक दिन में दस प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें से वह अधिकतम पांच प्रश्न पूछ सकता है। पांच में से, केवल एक तारांकित प्रश्न हो सकता है।

Short Notice Question:

These relate to a **matter of urgent public importance.** They can be asked **with less than 10 days' notice.** Like starred questions, **short notice questions are answered orally followed by supplementary questions.** These are admitted at the discretion of the Speaker.

अल्प सूचना प्रश्न:

ये अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित हैं। उनसे 10 दिनों से कम समय के नोटिस के साथ पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों की तरह, अल्प सूचना प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं और उसके बाद पूरक प्रश्न होते हैं। इन्हें अध्यक्ष के विवेक पर स्वीकार किया जाता है।

Zero Hour

- **The hour immediately following the Question Hour is popularly known as the Zero Hour**. It starts at around 12 noon (hence the name ZeroHour). This **period is usually used to raise matters that are urgent and cannot wait for the notice period required under other procedures.**

CoachUP IAS

- For raising matters during the Zero Hour, **MPs give notice before 10 am to the Speaker on the day of the sitting.** The notice must state the subject they wish to raise in the House. The **Speaker decides whether to allow the matter to be raised. Short notice questions too are taken up during the Zero Hour.**

शून्यकाल

- प्रश्नकाल के ठीक बाद के घंटे को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह दोपहर करीब 12 बजे शुरू होता है (इसलिए इसका नाम ज़ीरोआवर है)। इस अवधि का उपयोग आमतौर पर उन मामलों को उठाने के लिए किया जाता है जो अत्यावश्यक हैं और अन्य प्रक्रियाओं के तहत आवश्यक नोटिस अवधि की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं।

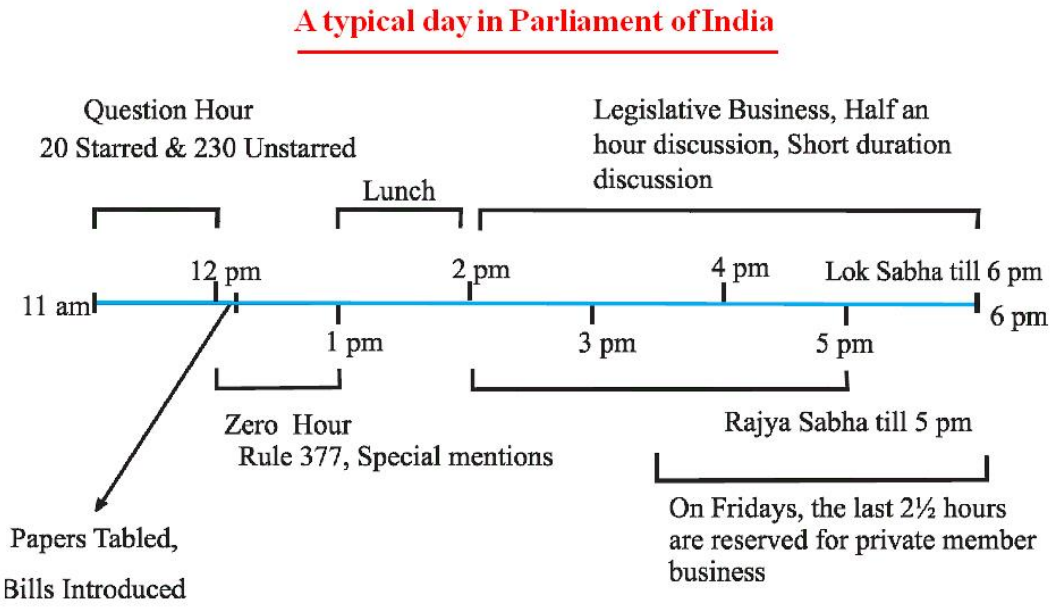

- शून्यकाल के दौरान मामलों को उठाने के लिए, सांसद बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को नोटिस देते हैं। नोटिस में उस विषय का उल्लेख होना चाहिए जिसे वे सदन में उठाना चाहते हैं। स्पीकर तय करता है कि मामले को उठाने की अनुमति दी जाए या नहीं। शून्यकाल के दौरान अल्प सूचना प्रश्न भी लिए जाते हैं।

Presiding Officials of the Lok Sabha

- The presiding officer of Lok Sabha is known as the Speaker. The conduct of business in Lok Sabha is the responsibility of the Speaker.
- The members of the House elect Speaker & Deputy Speaker after the new Lok Sabha forms. The Speaker will write resignation to Deputy Speaker and Deputy Speaker will resign to the speaker.
- The Speaker shall vacate the office if he/ she ceases to be a member of Lok Sabha.
- After the Lok Sabha gets dissolved, the Speaker will not immediately vacate the office but will continue till the first meeting after the next elections.
- **If the Speaker is NOT present, his duty will be carried out by Deputy Speaker.**

- If **Deputy Speaker is also not present, a person appointed by President will discharge the duties.**
- **Removal:** Both the Speaker as well as the Deputy Speaker can be removed from office by a resolution of Lok Sabha passed by an ***effective majority*** of the members of the House.
- The speaker or Deputy Speaker will not preside the house, while a resolution for his/her removal from the office is under consideration.

Some of the powers and functions of the speaker are mentioned below :

1. The basic function of the Speaker is to preside over the house and conduct the meetings of the House in orderly manner. No member can speak in the House without his/her permission.

2. He/she may ask a member to finish his speech and in case the member does not obey he/she may order that the speech should not be recorded.

3. All the Bills, reports, motions and resolutions are introduced with Speaker's permission.

4. He/she puts the motion or bill to vote. He/she does not participate in the voting but when there is a tie i.e. equal number of votes on both sides, he/she can use his casting vote.

5. His/her decisions in all parliamentary matters are final. If a dispute arises over the question as to whether a bill is a Money Bill or not, the decision is made by the Speaker. Such a decision is final and cannot be challenged inside or outside the house.

6. He/she is the custodian of rights and privileges of the members.

7. He/she disqualifies a member of his/her membership in case of defection.

8. He/she also accepts the resignation of members and decides about the genuineness of the resignation.

9. In case of joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha, the Speaker presides over the meeting. This highlights superiority of Lok Sabha over the Rajya Sabha.

लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी

- लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। लोकसभा में कार्य संचालन की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है।
- सदन के सदस्य नए लोकसभा रूपों के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को इस्तीफा लिखेंगे और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को इस्तीफा देंगे।
- यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद छोड़ देगा।

CoachIAS

- लोकसभा भंग होने के बाद, अध्यक्ष तुरंत कार्यालय खाली नहीं करेगा, लेकिन अगले चुनाव के बाद पहली बैठक तक जारी रहेगा।
- यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसका कर्तव्य उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- यदि उपाध्यक्ष भी मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- **निष्कासन:** लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को सदन के प्रभावी बहुमत से पारित लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे, जबकि उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

स्पीकर की कुछ शक्तियाँ और कार्य नीचे दिए गए हैं:

1) अध्यक्ष का मूल कार्य सदन की अध्यक्षता करना और सदन की बैठकों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करना है। कोई भी सदस्य सदन में उसकी अनुमति के बिना बोल नहीं सकता।
2) वह किसी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है और यदि सदस्य नहीं मानता है तो वह आदेश दे सकता है कि भाषण रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए।
3) सभी विधेयक, रिपोर्ट, प्रस्ताव और संकल्प अध्यक्ष की अनुमति से पेश किए जाते हैं।
4) वह मतदान के लिए प्रस्ताव या विधेयक रखता है। वह मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन जब दोनों पक्षों के बराबर वोट बराबर होते हैं, तो वह अपने कास्टिंग वोट का उपयोग कर सकता है।
5) सभी संसदीय मामलों में उसके निर्णय अंतिम होते हैं। यदि इस प्रश्न पर कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऐसा निर्णय अंतिम होता है और इसे सदन के अंदर या बाहर चुनौती नहीं दी जा सकती।
6) वह सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का संरक्षक है।
7) वह दलबदल के मामले में अपनी सदस्यता के सदस्य को अयोग्य घोषित कर देता है।
8) वह सदस्यों के इस्तीफे को भी स्वीकार करता है और इस्तीफे की वास्तविकता के बारे में फैसला करता है।
9) लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के मामले में, लोकसभा अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है। यह राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की श्रेष्ठता को उजागर करता है।

CoachIPIAS

Chairman & Deputy Chairman of Rajya Sabha

- **Vice President of India is the ex-officio chairman of Rajya Sabha**.
- Rajya Sabha members only choose a Member of the Rajya Sabha as Deputy Chairman
- The Deputy Chairman will vacate office if he/ she ceases to be a member of Rajya Sabha.
- The Deputy Chairman of Rajya Sabha will resign by writing a resignation to Chairman.
- ***Chairman (VP) can be removed by a resolution passed by an effective majority from Rajya Sabha & Simple Majority from Lok Sabha.***
- The **deputy chairman can be removed** by an **effective majority of the Rajya Sabha**
- If **Vice President is not available, Deputy Chairman will discharge functions as Chairman of the Rajya Sabha.**
- If **Deputy Chairman is also not available, a member appointed by the President will discharge the function.**
- The Chairman or Deputy Chairman will not preside while a resolution for his/ her removal from office is under consideration.
- While a resolution for his/ her removal is under consideration, he/she shall be able to speak but not eligible to cast the "Casting Vote".

राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति

- भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
- राज्यसभा सदस्य केवल राज्यसभा के सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनते हैं।
- यदि उपसभापति राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद छोड़ देगा।
- राज्यसभा का उपसभापति सभापति को त्यागपत्र लिखकर त्यागपत्र देगा।
- सभापति (VP) को राज्यसभा से प्रभावी बहुमत और लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
- उपसभापति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है
- यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो उपसभापति राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे।
- यदि उपसभापति भी उपलब्ध न हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य कार्य का निर्वहन करेगा।

CoachUP IAS

- अध्यक्ष या उपसभापति अध्यक्षता नहीं करेंगे, जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- जबकि उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, वह बोलने में सक्षम होगा लेकिन "कास्टिंग वोट" डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

Pro tem Speaker

- Pro-tem speaker is a **temporary speaker** appointed **for a limited period of time to conduct the works in the Lower House of Parliament after the General elections.**
- After a general election and the formation of a new government, a list of senior Lok Sabha members prepared by the Legislative Section is submitted to the Minister of Parliamentary Affairs, who selects a **pro tem speaker**. **The appointment has to be approved by the president.**
- The Speaker Pro Tem has all the powers of the Speaker. **He presides over the sitting of the newly-elected Lok Sabha. His main duty is to administer the oath to the new members. He also enables the House to elect the new Speaker.**
- The **first meeting after the election when the Speaker and the Deputy Speaker are selected by members of the Parliament is held under the pro tem Speaker**. In absence of the Speaker, the Deputy Speaker acts as Speaker, and in the absence of both a committee of six-member selected by the Speaker will act as Speaker according to their seniority.

प्रो टेम स्पीकर-

- प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है जिसे आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन में काम करने के लिए सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है।
- एक आम चुनाव और एक नई सरकार के गठन के बाद, विधायी अनुभाग द्वारा तैयार वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की एक सूची संसदीय कार्य मंत्री को प्रस्तुत की जाती है, जो एक प्रोटेम स्पीकर का चयन करते हैं। नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
- प्रोटेम स्पीकर के पास स्पीकर के सभी अधिकार होते हैं। वह नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। उनका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने में भी सक्षम बनाता है।
- चुनाव के बाद पहली बैठक जब संसद के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के तहत आयोजित किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में,

CoachIPIAS

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा चुनी गई छह सदस्यीय समिति उनकी वरिष्ठता के अनुसार अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगी।

Whip

- **The office of 'whip', on the other hand, is mentioned neither in the Constitution of India nor in the Rules of the House nor in a Parliamentary Statute.** It is **based on the conventions of the parliamentary government.**
- In India, the concept of the **whip was inherited from colonial British rule**. Every major political party appoints a **whip who is responsible for the party's discipline and behaviors on the floor of the house.**
- Usually, he/she **direct the party members to stick to the party's stand on certain issues and direct them to vote as per the direction** of senior party members.
- However, there are some cases such as **Indian presidential elections where whips cannot direct a Member of Parliament (MP) or Member of Legislative Assembly (MLA) on whom to vote.**

सचेतक (ह्विप)

- दूसरी ओर, 'व्हिप' के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में और न ही सदन के नियमों में और न ही किसी संसदीय क़ानून में किया गया है। यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों पर आधारित है।
- भारत में, **सचेतक** की अवधारणा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली थी। हर प्रमुख राजनीतिक दल एक व्हिप नियुक्त करता है जो सदन के पटल पर पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है।
- आमतौर पर, वह पार्टी के सदस्यों को कुछ मुद्दों पर पार्टी के रुख पर कायम रहने का निर्देश देते हैं और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के निर्देश के अनुसार उन्हें वोट देने का निर्देश देते हैं।
- हालांकि, कुछ मामले हैं जैसे कि भारतीय राष्ट्रपति चुनाव जहां व्हिप संसद सदस्य (एमपी) या विधान सभा सदस्य (एमएलए) को वोट देने के लिए निर्देशित नहीं कर सकते हैं।

CoachUP IAS

Motions in parliament

Motions are procedural devices that allow the House to debate a topic of general public interest. A member or Minister initiates a debate in the House by introducing a motion. The term 'motion' refers to any proposition put up to the House for consideration.

संसद में प्रस्ताव

प्रस्ताव प्रक्रियात्मक उपकरण हैं जो सदन को आम जनहित के विषय पर बहस करने की अनुमति देते हैं। एक सदस्य या मंत्री एक प्रस्ताव पेश करके सदन में बहस शुरू करता है। 'प्रस्ताव' शब्द का तात्पर्य सदन में विचार के लिए रखे गए किसी भी प्रस्ताव से है।

Closure Motion

It is a **motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the House**. If the motion is approved by the House, the debate is stopped forthwith and the matter is put to vote. There are four kinds of closure motions.

- **Simple Closure**: It is one when a member moves that the '**matter having been sufficiently discussed be now put to vote**'.
- **Closure by Compartments**: In this case, the clauses of a **bill or a lengthy resolution are grouped into parts** before the commencement of the debate. The debate covers the part as a whole and the entire part is put to vote.
- **Kangaroo Closure**: Under this type, **only important clauses are taken up for debate and voting** and the intervening clauses are skipped over and taken as passed.
- **Guillotine Closure**: It is one when the **undiscussed clauses of a bill or a resolution are also put to vote along with the discussed** ones due to want of time (as the time allotted for the discussion is over).

कटौती प्रस्ताव (Closure Motion)

यह सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव है। यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो बहस को तुरंत रोक दिया जाता है और मामले को मतदान के लिए रखा जाता है। बंद करने के प्रस्ताव चार प्रकार के होते हैं।

- **साधारण कटौती**- यह तब होता है जब कोई सदस्य प्रस्ताव करता है कि 'इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब मतदान के लिए रखा जाए'।

CoachIP IAS

- **भागों द्वारा कटौती**-इस मामले में, बहस शुरू होने से पहले एक विधेयक या एक लंबे संकल्प के खंड को भागों में बांटा जाता है। बहस पूरे हिस्से को कवर करती है और पूरे हिस्से को वोट देने के लिए रखा जाता है।
- **कंगारू कटौती:** इस प्रकार के तहत, केवल महत्वपूर्ण खंडों को बहस और मतदान के लिए लिया जाता है और हस्तक्षेप करने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित किया जाता है।
- **गिलोटिन कटौती:** यह तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा के लिए मतदान के लिए रखा जाता है (चूंकि चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है)।

Privilege Motion

It is **concerned with the breach of parliamentary privileges by a minister**. It is moved by a member when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the House or one or more of its members by withholding facts of a case or by giving wrong or distorted facts. Its purpose is to censure the concerned minister.

विशेषाधिकार प्रस्ताव-

यह एक मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह एक सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य देकर सदन या उसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसका मकसद संबंधित मंत्री की निंदा करना है

Calling Attention Motion

It is introduced in the Parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance, and **to seek an authoritative statement from him on that matter**. **Like the zero hours, it is also an Indian innovation** in the parliamentary procedure and has been in existence since 1954. However, **unlike the zero hours, it is mentioned in the Rules of Procedure.**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

यह संसद में एक सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए पेश किया जाता है। शून्यकाल की

CoachUP IAS

तरह, यह भी संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है और 1954 से अस्तित्व में है। हालांकि, शून्यकाल के विपरीत, प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख किया गया है।

Adjournment motion

The **primary object of an adjournment motion is to draw the attention of Lok Sabha to a recent matter of urgent public importance having serious consequences** and in regard to which a motion or a resolution with proper notice will be too late.

Houses in which adjournment motion is allowed- only in Lok Sabha {or in state legislative assembly} and NOT in Rajya Sabha {or in state legislative council} because it has an element of censure against the government.

There are few conditions of adjournment motion in Lok Sabha as follows:

- **Such a motion needs the support of at least 50 members.**
- It should be introduced on a matter of **definite and urgent public importance**. However, it should not cover more than one matter and be restricted to that matter only.
- The subject matter should not be the same which is already being discussed in the same session.
- A question of privilege or any other questions which can be raised via other distinct motion cannot be raised in an adjournment motion. Since adjournment motion disrupts the normal business of the house and this is regarded as an extraordinary tool in parliament.

स्थगन प्रस्ताव-

स्थगन प्रस्ताव का प्राथमिक उद्देश्य लोक सभा का ध्यान एक ऐसे तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है जिसके गंभीर परिणाम हों और जिसके संबंध में उचित नोटिस के साथ प्रस्ताव या प्रस्ताव में बहुत देर हो जाए।

जिन सदनों में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति है- केवल लोकसभा में {या राज्य विधान सभा में} और राज्यसभा में नहीं {या राज्य विधान परिषद में} क्योंकि इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व है।

लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव की कुछ शर्तें इस प्रकार हैं:

- ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।

CoachUPIAS

- इसे निश्चित और अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर पेश किया जाना चाहिए। हालाँकि, इसमें एक से अधिक मामले शामिल नहीं होने चाहिए और केवल उस मामले तक ही सीमित रहना चाहिए।
- विषय वस्तु वही नहीं होनी चाहिए जिस पर उसी सत्र में पहले से ही चर्चा हो रही हो।
- विशेषाधिकार का प्रश्न या कोई अन्य प्रश्न जो अन्य विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से उठाया जा सकता है, स्थगन प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता है। चूंकि स्थगन प्रस्ताव सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है और इसे संसद में एक असाधारण उपकरण माना जाता है।

Calling Attention versus Adjournment Motion

Since Rajya Sabha is not permitted to make use of adjournment motion, there is a similar tool in Rajya Sabha which is called "**Calling Attention**". The notable difference between the two is that while adjournment motion has an element of censure against the government, **Calling attention** has no such element.

ध्यानाकर्षण बनाम स्थगन प्रस्ताव

चूंकि राज्य सभा को स्थगन प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, इसलिए राज्य सभा में एक समान उपकरण है जिसे "ध्यान आकर्षित करना" कहा जाता है। दोनों के बीच उल्लेखनीय अंतर यह है कि स्थगन प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व है, ध्यान आकर्षित करने वाला ऐसा कोई तत्व नहीं है।

No-Confidence Motion

- ***Article 75*** of the Constitution says that ***the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha.*** It means that the ***ministry stays in office so long as it enjoys confidence of the majority of the members of the Lok Sabha.***
- ***LokSabha can remove the ministry from office by passing a no-confidence motion.***
- **According to rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of the Lok Sabha, a no-confidence motion is "a motion expressing lack of confidence in the Council of Ministers."**
- The ***motion requires permission of Speaker & needs the support of 50 members to be admitted***.
- ***No confidence motion is allowed only in Lok Sabha.***
- ***A no-confidence motion need not define the reasons on which it is based.***

CoachUPIAS

- It ***can be moved against the entire council of ministers. If it is passed in the Lok Sabha, the council of ministers must resign from office.***

अविश्वास प्रस्ताव

- संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि मंत्रालय तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के अधिकांश सदस्यों का विश्वास प्राप्त है।
- लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रालय को पद से हटा सकती है।
- लोकसभा के प्रक्रिया और आचरण के नियमों के नियम 198 के अनुसार, एक अविश्वास प्रस्ताव "मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी को व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है।"
- प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
- अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में अनुमति दी जाती है।
- एक अविश्वास प्रस्ताव को उन कारणों को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर यह आधारित है।
- इसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

Censure Motion

- It should ***state the reasons for its adoption in the LokSabha***.
- It ***can be moved against an individual minister or a group of ministers or the entire council of ministers.***
- It is moved for ***censuring (disapproving) the council of ministers for specific policies and actions.***
- ***If it is passed in the LokSabha, the council of ministers need not resign from the office.***
- *But the Council of Ministers shall* ***pass a Confidence motion to regain the trust of the House.***

CoachUP IAS

निन्दा प्रस्ताव-

- इसे लोकसभा में इसे अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए।
- इसे एक व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ पेश किया जा सकता है।
- इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा (अस्वीकृति) करने के लिए पेश किया गया है।
- यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को कार्यालय से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है।
- लेकिन मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास हासिल करने के लिए एक विश्वास प्रस्ताव पारित करेगी।

Motion of Thanks –

- **It** is a ***motion in Indian Parliament which takes place after the address of the President of India to the joint sitting of LokSabha and Rajya Sabha at the commencement of first session of a new LokSabha and first session of every year.***
- **President's address** is the ***speech delivered by the President of India to both Houses of Parliament assembled together at the commencement of the first session after each general election to LokSabha and at the commencement of the first session of each year (this is usually the budget session).***
- This speech is a statement of the government policy and is approved by the cabinet.
- The ***President highlights legislative and policy activities of the government, achievements of the previous year and broad agenda of the upcoming year.***
- This address of the president, which corresponds to the 'speech from the Throne in Britain', is discussed in both the Houses of Parliament on a motion called the 'Motion of Thanks'.
- At the end of the discussion, the motion is put to vote. **This motion must be passed in the House. Otherwise, it amounts to the defeat of the government.** ***This is why, the Motion of Thanks is deemed to be a no-confidence motion.***

धन्यवाद प्रस्ताव –

- यह भारतीय संसद में एक प्रस्ताव है जो एक नई लोकसभा के पहले सत्र और हर साल के पहले सत्र के प्रारंभ में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद होता है।

- राष्ट्रपति का अभिभाषण भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में एक साथ दिया गया भाषण है (यह आमतौर पर बजट सत्र होता है)।
- यह भाषण सरकार की नीति का एक बयान है और कैबिनेट द्वारा अनुमोदित है।
- राष्ट्रपति सरकार की विधायी और नीतिगत गतिविधियों, पिछले वर्ष की उपलब्धियों और आगामी वर्ष के व्यापक एजेंडे पर प्रकाश डालते हैं।
- राष्ट्रपति के इस अभिभाषण पर, जो 'ब्रिटेन में सिंहासन से भाषण' से मेल खाता है, संसद के दोनों सदनों में 'धन्यवाद प्रस्ताव' नामक प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है।
- चर्चा के अंत में, प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा जाता है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए। नहीं तो यह सरकार की हार है। यही कारण है कि धन्यवाद प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव माना जाता है।

No-Day-Yet-Named Motion

It is a motion that has been admitted by the Speaker but no date has been fixed for its discussion. The Speaker, after considering the state of business in the House and in consultation with the leader of the House or on the recommendation of the Business Advisory Committee, allots a day or days or part of a day for the discussion of such a motion.

बिना तय तारीख का प्रस्ताव

यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है लेकिन इसकी चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। अध्यक्ष, सदन में कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सदन के नेता के परामर्श से या कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन या दिन या एक दिन का हिस्सा आवंटित करता है।

Half-an-Hour Discussion

Members have a right to get information from the Government on any matter of public concern by means of questions to Ministers. When a member feels that the answer given to a question, Starred or Unstarred or Short Notice, is not complete or does not give the desired information or needs elucidation on a matter of fact, he **may be allowed by the Speaker to raise a discussion in the House for half an hour**. The procedure is, therefore, termed as ‘Half-an-Hour Discussion’.

CoachUP IAS

आधा घंटा चर्चा प्रस्ताव

सदस्यों को यह अधिकार है कि वे मंत्रियों से प्रश्नों के माध्यम से सार्वजनिक हित के किसी भी मामले पर सरकार से जानकारी प्राप्त करें। जब किसी सदस्य को लगता है कि किसी प्रश्न, तारांकित या अतारांकित या अल्प सूचना का उत्तर पूर्ण नहीं है या वांछित जानकारी नहीं देता है या किसी तथ्य पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो उसे अध्यक्ष द्वारा चर्चा करने की अनुमति दी जा सकती है आधे घंटे के लिए सदन इसलिए, प्रक्रिया को 'आधे घंटे की चर्चा' कहा जाता है।

Legislative procedure in parliament

All legislative proposals are brought before Parliament in the form of bills. A bill is the draft of a legislative proposal, which becomes a law after receiving the approval of both the houses of the Parliament and the assent of the President.

The process of law making begins with the introduction of a Bill in either House of Parliament. A Bill can be introduced either by a Minister or a Member other than a Minister. In the former case, it is known as a **Government Bill (Public Member Bill)** and in the latter case, it is known as a **Private Member's Bill**.

The differences between the two bills are as follows:

1. A government bill is essentially introduced by a minister whereas a private bill is introduced by any member of the parliament other than a minister.

2. A government bill reflects the policies of the government while a private bill reflects the stand of opposition party on public matters.

3. As the government has majority in the parliament, public bills have greater chance to get passed. The Private members' bills do not have this advantage.

4. The introduction of government bill in the House requires seven days' notice whereas the introduction of private bill requires one month's notice.

5. The government bill is drafted by the concerned department in consultation with the law department while the concerned member is responsible to draft private bill.

Coach IP IAS

	Public Bill		*Private Bill*
1.	It is introduced in the Parliament by a minister.	1.	It is introduced by any member of Parliament other than a minister.
2.	It reflects of the policies of the government (ruling party).	2.	It reflects the stand of opposition party on public matter.
3.	It has greater chance to be approved by the Parliament.	3.	It has lesser chance to be approved by the Parliament.
4.	Its rejection by the House amounts to the exp-ression of want of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation.	4.	Its rejection by the House has no implication on the parliamentary confidence in the government or its resignation.
5.	Its introduction in the House requires seven days' notice.	5.	Its introduction in the House requires one month's notice.
6.	It is drafted by the concerned department in consultation with the law department.	6.	Its drafting is the responsibility of the member concerned.

संसद में विधायी प्रक्रिया-

सभी विधायी प्रस्तावों को बिल के रूप में संसद के समक्ष लाया जाता है। एक विधेयक एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है, जो संसद के दोनों सदनों की मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति के बाद कानून बन जाता है।

कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करने के साथ शुरू होती है। विधेयक को कोई मंत्री या मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य पेश कर सकता है। पहले मामले में, इसे सरकारी विधेयक (सार्वजनिक सदस्य विधेयक) के रूप में जाना जाता है और बाद के मामले में, इसे निजी सदस्य विधेयक के रूप में जाना जाता है।

दोनों विधेयकों के बीच अंतर इस प्रकार हैं:

1. एक सरकारी विधेयक अनिवार्य रूप से एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है जबकि एक निजी विधेयक एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है।
2. एक सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों को दर्शाता है जबकि एक निजी विधेयक सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है।
3. चूंकि संसद में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए सार्वजनिक विधेयकों के पारित होने की संभावना अधिक होती है। निजी सदस्यों के बिलों का यह लाभ नहीं होता है।
4. सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए सात दिन की सूचना की आवश्यकता होती है जबकि निजी विधेयक को पेश करने के लिए एक महीने की सूचना की आवश्यकता होती है।
5. सरकारी विधेयक का मसौदा संबंधित विभाग द्वारा कानून विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है जबकि संबंधित सदस्य निजी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है।

सार्वजनिक बिल	निजी बिल
1. इसे एक मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है।	यह एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है।
2. यह सरकार (सत्तारूढ़ दल) की नीतियों को दर्शाता है।	यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के रुख को दर्शाता है।
3. इसे संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने की अधिक संभावना होती है।	इसे संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने की संभावना कम होती है।
4. सदन द्वारा इसे अस्वीकार करना सरकार में संसदीय विश्वास की कमी की अभिव्यक्ति के बराबर है और इससे उसका इस्तीफा हो सकता है।	सदन द्वारा इसकी अस्वीकृति का कोई निहितार्थ नहीं है

CoachUP IAS

5. इसे सदन में पुरःस्थापित करने के लिए सात दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है।	इसे सदन में पुरःस्थापित करने के लिए एक महीने की नोटिस की आवश्यकता होती है।
6. यह कानून विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया गया है।	यह मसौदा तैयार कर रहा संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी है।

The bills introduced in the parliament can also be further classified as:

1. Ordinary Bills

2. Money Bills

3. Financial Bills

4. Constitutional Amendment Bills

संसद में पेश किए गए विधेयकों को भी इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. साधारण विधेयक
2. मनी विधेयक
3. वित्तीय विधेयक
4. संवैधानिक संशोधन विधेयक

Ordinary Bills

- All Bills other than money bills, Financial Bills and Constitutional Amendment Bills are termed as Ordinary Bills.
- Ordinary Bill can be introduced in either house of the Parliament without the recommendation of President (except Article 3 i.e. bills related to reorganization of the states or territories).
- These Bills are passed by simple majority of both the houses. In case of a deadlock, the tie is resolved by a joint sitting.
- The President has the right to return such bills for reconsideration to the Parliament

CoachUP IAS

The five stages through, which and ordinary bill passes to become a law are as follows:

(a) **First reading**- It includes the introduction of the bill in either of the houses of the Parliament by a minister or by a private member. It is followed by the grant of leave and its publication in the Gazette of India.

(b) **Second Reading**: At this stage, the bill undergoes detailed scrutiny including discussion of every clause. This stage can be further divided into the stages of general discussion, committee stage and consideration stage.

(c) **Third Reading**: At this stage, no amendments are allowed. The bill needs to be passed by a simple majority of members present and voting in the House. When bill is authenticated by the presiding officer, it is sent to the other house for consideration and approval.

(d**) Bill in the second House**: In the second House also, the bill needs to be passed by a simple majority of members present and voting in the House. If the second House passes the bill without any amendments, the bill is sent to the president for his assent.

(e) **Assent of the President:** If the president gives his assent to the bill, the bill becomes an act and placed on the Statute Book.

साधारण बिल-

- धन विधेयकों, वित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को साधारण विधेयक कहा जाता है।
- साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 3 यानी राज्यों या क्षेत्रों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों को छोड़कर)।
- भुगतानों, लेखाओं और संशोधनों को संशोधित किया जाता है और अन्य सभी कार्यों को सामान्य रूप से संशोधित किया जाता है।
- सामान्य रूप से प्रतिनिधि के रूप में संसद के किसी भी सदन में पेश किया गया (अनुच्छेद 3 या के रूप में कार्य से संबंधित को समाप्त किया गया)।

कानून बनने के लिए जिन पांच चरणों से होकर साधारण विधेयक गुजरता है, वे इस प्रकार हैं:

a) **प्रथम वाचन**- इसमें किसी मंत्री द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में विधेयक को प्रस्तुत करना शामिल है। इसके बाद छुट्टी की मंजूरी और भारत के राजपत्र में इसका प्रकाशन होता है।

CoolUP IAS

b) **दूसरा वाचन:** इस स्तर पर, बिल हर खंड की चर्चा सहित विस्तृत जांच से गुजरता है। इस चरण को आगे सामान्य चर्चा, समिति चरण और विचार चरण के चरणों में विभाजित किया जा सकता है

c) **तीसरा वाचन:** इस स्तर पर, किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं है। विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। जब पीठासीन अधिकारी द्वारा बिल को प्रमाणित किया जाता है, तो इसे दूसरे सदन में विचार और अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।

d) **दूसरे सदन में विधेयक**: दूसरे सदन में भी, विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होती है। यदि दूसरा सदन बिना किसी संशोधन के विधेयक को पारित कर देता है, तो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।

e) **राष्ट्रपति की सहमति:** यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति देता है, तो विधेयक अधिनियम बन जाता है और उसे क़ानून की किताब में डाल दिया जाता है।

Money Bill

As per article 110, A Bill is deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:

- **(a)** the imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax;
- **(b)** the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;
- **(c)** the custody of the Consolidated Fund, the payment of moneys into or the withdrawal of moneys from any such fund;
- **(d)** the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;
- **(e)** the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure;
- **(f)** the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India

मनी बिल-

अनुच्छेद 110 के अनुसार, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, अर्थात्:

CoolUP IAS

- किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;
- भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, या भारत सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन;
- समेकित निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन का भुगतान या उससे धन की निकासी;
- भारत की संचित निधि से धन का विनियोग;
- किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;
- भारत की संचित निधि के खाते में धन की प्राप्ति

Features of Money Bills

Essentially a Money bill has the following features:

- It can be **introduced only in the Lok Sabha**
- **If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the Lok Sabha is final.** His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in the either House of Parliament.
- To make sure that Rajya Sabha doesn't amend the bill by adding some non-money matters (known as Financial Bill), the Speaker of the Lok Sabha certifies the bill as a money bill before sending it to the upper house, and the decision of the Speaker is binding on both the Houses.
- The bill is placed in Rajya Sabha thereafter, and Rajya Sabha can return the Bill with or without its recommendations.
- In any case, the **Bill has to be returned within a period of 14 days from the date of its receipt by Rajya Sabha. Otherwise, it is deemed to have been passed by both Houses** at the expiration of the said period, in the form in which it was passed by Lok Sabha.
- If the bill is returned to the Lok Sabha with amendments it has to be laid on the Table of the House and taken up for consideration.
- **However, Lok Sabha is not bound to accept these amendments. Lok Sabha, has the option to accept or reject all or any of the recommendations made by Rajya Sabha.**
- If Lok Sabha accepts any amendments as recommended by the Rajya Sabha, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses of the Parliament 'with the amendments recommended by the Rajya Sabha and accepted by the Lok Sabha' and a message to that effect has to be sent to the Rajya Sabha.

Coachup IAS

- **If Lok Sabha does not accept the recommendations of the Rajya Sabha, the Bill shall be deemed to have been passed by both the Houses in the form in which it 'was passed by the Lok Sabha** without any of the amendments recommended by the Rajya Sabha'.
- **Unlike other bills, the President cannot return the Money Bill with his recommendations to the Lok Sabha** for reconsideration.
- **A defeat of the Money bill in Lok Sabha is deemed political/parliamentary defeat of the government of the day.**
- Rajya Sabha's dissent on a Money Bill is of no political significance, as the **Lok Sabha has overriding powers on Money Bills.**

मनी बिल की विशेषताएं

मूल रूप से एक धन विधेयक में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है
- यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी भी न्यायालय या संसद के किसी भी सदन में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- • यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यसभा कुछ गैर-धन संबंधी मामलों (वित्तीय विधेयक के मामले में) को जोड़कर विधेयक में संशोधन न करे, लोकसभा के अध्यक्ष विधेयक को उच्च सदन में भेजने से पहले धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं, और अध्यक्ष का निर्णय संसद के दोनों सदनों पर बाध्यकारी होता हैइसके बाद विधेयक को राज्य सभा में रखा जाता है और राज्य सभा अपनी सिफारिशों के साथ या बिना विधेयक को वापस कर सकती है।
- किसी भी स्थिति में, विधेयक को राज्य सभा द्वारा प्राप्त होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना होगा। अन्यथा, यह उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, जिस रूप में इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
- यदि विधेयक संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटाया जाता है तो उसे सदन के पटल पर रखना होता है और उस पर विचार करना होता है।
- हालांकि, लोकसभा इन संशोधनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। लोक सभा के पास राज्य सभा द्वारा की गई सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है।

CoachUP IAS

- यदि लोक सभा राज्य सभा द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन को स्वीकार करती है, तो विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा 'राज्य सभा द्वारा अनुशंसित और लोक सभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों के साथ' पारित माना जाएगा और उस के लिए एक संदेश प्रभाव राज्यसभा को भेजा जाना है।
- यदि लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित माना जाएगा जिसमें इसे 'लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, बिना राज्य सभा द्वारा अनुशंसित किसी भी संशोधन के'। .
- अन्य विधेयकों के विपरीत, राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है।
- लोकसभा में धन विधेयक की हार को तत्कालीन सरकार की राजनीतिक/संसदीय हार माना जाता है।
- धन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति का कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, क्योंकि लोकसभा के पास धन विधेयकों पर अधिभावी शक्तियां हैं।

Ordinary Bill	**Money Bill**
Ordinary Bills can be introduced in either **Lok Sabha or Rajya Sabha**.	Money Bill can be introduced **only in Lok Sabha.**
Ordinary Bill can be introduced without the recommendation of the President	Money Bill can be introduced **only on the recommendation of the President**
Either a Minister or private member can introduce the ordinary bill	**Only a Minister is allowed to introduce** Money Bill in the Parliament
If the Ordinary Bill originated in the Lok Sabha, then it **does not require the approval of the**	Money Bill **requires the certification of the Lok Sabha Speaker** when transmitted to Rajya Sabha.

speaker when transmitted to Rajya Sabha.	
Rajya Sabha has the power to reject or amend the Ordinary Bill	**Rajya Sabha cannot amend or reject the Money Bill.** The Money Bill has to be returned to the Lok Sabha with or without the recommendations of Rajya Sabha. Lok Sabha has the power to reject or accept the recommendations of Rajya Sabha regarding the Money Bill.
The Rajya Sabha has the power to **detain the Ordinary Bill for a period of 6 months.**	The **Money Bill can be detained for a maximum period of 14 days only** by the Rajya Sabha
Ordinary Bill is **sent for the assent of President only after being approved by both the houses** i.e. Lok Sabha and Rajya Sabha	The Money Bill is **sent for the President's assent only after approval from the Lok Sabha.** Money Bill does not require the approval of Rajya Sabha before it is sent to the President for his assent.
Ordinary Bill can be returned for reconsideration, accepted, or rejected by the President.	**Money Bill cannot be returned for reconsideration by the President.** The President can only accept or reject it.
In case of deadlock on the Ordinary Bill(if Rajya Sabha has delayed the ordinary bill by 6 months), **there is a provision of a joint sitting**	In the case of Money Bill, if there is a deadlock, **there is no provision of a joint sitting**

साधारण विधेयक	धन विधेयक
साधारण विधेयक लोकसभा या राज्य सभा में से किसी एक में पेश किए जा सकते हैं।	**धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।**
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है	**धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है।**

साधारण विधेयक को या तो कोई मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य पेश कर सकता है	संसद में केवल एक मंत्री को धन विधेयक पेश करने की अनुमति है
यदि साधारण विधेयक लोकसभा में उत्पन्न हुआ है, तो राज्यसभा को प्रेषित होने पर उसे स्पीकर के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।	धन विधेयक को राज्य सभा में प्रेषित किए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।
राज्यसभा को साधारण विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार है।	राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा की सिफारिशों के साथ या उसके बिना लोकसभा में वापस करना होता है। लोकसभा के पास धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की सिफारिशों को अस्वीकार या स्वीकार करने की शक्ति है।
राज्यसभा के पास साधारण विधेयक को 6 महीने की अवधि के लिए रोके रखने का अधिकार है।	धन विधेयक को केवल राज्य सभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों की अवधि के लिए रोका जा सकता है।
साधारण विधेयक दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।	धन विधेयक को लोकसभा से अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पहले राज्य सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
साधारण विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार, स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए वापस किया जा सकता है।	धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

CoachIPAS

साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में (यदि राज्य सभा ने साधारण विधेयक में 6 माह की देरी की है) तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है।	**धन विधेयक के मामले में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है।**

Financial Bills

Financial bills are those bills that deal with fiscal matters, that is, revenue or expenditure. However, the Constitution uses the term 'financial bill' in a technical sense. **Financial bills are of three kinds:**

1. Money bills—**Article 110**
2. Financial bills (I)—**Article 117 (1)**
3. Financial bills (II)—**Article 117 (3)**

This classification implies that money bills are simply a species of financial bills. **Hence, all money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills.**

Only those **financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in Article 110 of the Constitution. These are also certified by the Speaker of Lok Sabha as money bills.** The **financial bills (I) and (II),** on the other hand, have been dealt with in **Article 117** of the Constitution.

Financial bill (I) can be introduced only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha and can be introduced only on the recommendation of the president. However, once it has been passed by the Lok Sabha, it is like an ordinary Bill and there is no restriction on the powers of the Rajya Sabha on such Bills. **Financial bill (I)** Bills contain provisions dealing with any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of article 110 and other matters also.

Financial bill (II) like any other ordinary bills can be introduced in either House of parliament and recommendation of the President is not necessary for its introduction. Both the houses have power to reject or amend the bill.

Financial bill (II) Bills involve expenditure from the Consolidated Fund of India but is not included in Article 110.

CoachUP IAS

वित्तीय विधेयक

वित्तीय बिल वे बिल होते हैं जो राजकोषीय मामलों, यानी राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। हालाँकि, संविधान तकनीकी अर्थों में 'वित्तीय विधेयक' शब्द का उपयोग करता है। वित्तीय बिल तीन प्रकार के होते हैं:

1. धन विधेयक–अनुच्छेद 110
2. वित्तीय बिल (I)-अनुच्छेद 117 (1)
3. वित्तीय बिल (II)-अनुच्छेद 117 (3)

इस वर्गीकरण का तात्पर्य है कि धन विधेयक केवल वित्तीय विधेयकों की एक प्रजाति है। इसलिए, सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हैं।

केवल वे वित्तीय विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनमें केवल वे मामले होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में भी प्रमाणित किया जाता है। दूसरी ओर, वित्तीय विधेयकों (I) और (II) को संविधान के अनुच्छेद 117 में निपटाया गया है।

वित्तीय विधेयक (I) केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में नहीं और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। हालांकि, एक बार इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, यह एक सामान्य विधेयक की तरह है और ऐसे विधेयकों पर राज्य सभा की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वित्तीय विधेयक (I) विधेयकों में अनुच्छेद 110 के उप-खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले और अन्य मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

वित्तीय विधेयक (II) किसी भी अन्य सामान्य विधेयकों की तरह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश को पेश करने के लिए आवश्यक नहीं है। दोनों सदनों को विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने का अधिकार है।

वित्तीय विधेयक (II) विधेयकों में भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होता है लेकिन यह अनुच्छेद 110 में शामिल नहीं है।

CoachUP IAS

Money Bill	Financial Bill – I	Financial Bill – II
To introduce this bill, the **recommendation of the President is required.**	To introduce this bill, the **recommendation of the President is required.**	To introduce this bill, the **recommendation of the President is not required**.
Rajya Sabha does **not have the power to amend or reject** the Money Bill	**Rajya Sabha has the power to amend or reject Financial Bill – I**	**Rajya Sabha has the power to amend or reject Financial Bill – II**
Whether a bill is a money bill or not is decided by the Speaker of Lok Sabha.	**This Bill does not require any kind of approval from the Speake**r to classify it as Financial Bill-I	**This Bill does not require any kind of approval from the Speaker** to classify it is as Financial Bill-II
The recommendation of the President of India is **needed** to introduce Money Bill.	Recommendation of the President of India is **needed** to introduce Financial Bill – I	Recommendation of the President of India is **not needed** to introduce Financial Bill – II
Money Bill can be introduced **only in Lok Sabha**	Financial Bill-I can be introduced **only in Lok Sabha**	Financial Bill-II can be introduced in **Lok Sabha as well as Rajya Sabha**
To resolve the deadlock on Money Bill, there is no provision for a joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha.	To resolve the deadlock on Financial Bill-I, President can summon a joint sitting of both Lok Sabha and Rajya Sabha	To resolve the deadlock on Financial Bill-II, President can summon a joint sitting of both Lok Sabha and Rajya Sabha
Money Bills are dealt with by **Article 110** of the Constitution	Finance Bill-I is dealt with by **Article 117(1)** of the Constitution	Finance Bill-II is dealt with b**y Article 117(3)** of the Constitution.
Money Bill only deals with provisions mentioned in Article 110	Finance Bill-I not only deals with provisions of Article 110 but also other matters of general legislation	Finance Bill-II deals with provisions on expenditure from the Consolidated Fund

		of India but is not included in Article 110.
Money Bill is a Government Bill	**Finance Bill-I is an ordinary Bill**	**Finance Bill-II is an ordinary Bill**

धन विधेयक	**वित्तीय विधेयक - I**	**वित्तीय विधेयक - II**
इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।	इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।	इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।
राज्यसभा के पास धन विधेयक को संशोधित या अस्वीकार करने की शक्ति नहीं है।	राज्यसभा को वित्तीय विधेयक - I में संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति है।	राज्यसभा को वित्तीय विधेयक - II में संशोधन या अस्वीकार करने की शक्ति है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है।	इस विधेयक को वित्तीय विधेयक-I के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अध्यक्ष से किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।	इस विधेयक को वित्तीय विधेयक-II के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अध्यक्ष के किसी भी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
धन विधेयक को पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।	वित्तीय विधेयक-I पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है।	वित्तीय विधेयक-II पेश करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।
धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।	वित्तीय विधेयक-I केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।	वित्तीय विधेयक- II लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है।
धन विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।	वित्तीय विधेयक-I पर गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।	वित्तीय विधेयक- II पर गतिरोध को हल करने के लिए राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

CoachUP IAS

धन विधेयकों पर संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत विचार किया जाता है।	वित्त विधेयक-I को संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत पेश किया गया है।	वित्त विधेयक- II को संविधान के अनुच्छेद 117(3) द्वारा पेश किया जाता है।
धन विधेयक केवल अनुच्छेद 110 में उल्लिखित प्रावधानों से संबंधित है।	वित्त विधेयक-I को संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत पेश किया गया है।	वित्त विधेयक- II को संविधान के अनुच्छेद 117(3) द्वारा पेश किया जाता है।
धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है	वित्त विधेयक-I एक साधारण विधेयक है।	वित्त विधेयक-II एक साधारण विधेयक है।

CoachUP IAS